न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–220 सन् 1994

अम्बेदकर कुमार वगैरह.........................वादीगण।

बनाम

दिनापत राय वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 05.09.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 05.09.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 02 रेशमा देवी जौजे स्व0 चंद्रमा राय दिनांक 06.09.2012 को अपने पुत्रों वादी सं0 02 'क' से 2 'ग' के अलावे अपनी तीन पुत्रियां किरण देवी, विमल देवी एवं बेबी देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गई। उपरोक्त वादी नं0 02 रेशमा देवी के पुत्रगण उपरोक्त वाद में पूर्व से वादी सं0 02 'क' से 2 'ग' हैं लेकिन रेशमा देवी के उपरोक्त पुत्रियां रेशमा देवी के मरने के बाद उपरोक्त वाद में प्रतिस्थापित नहीं हो सकी हैं। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 02 का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके उपरोक्त पुत्रियों का नाम कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 02 रेशमा देवी थी जिनकी मृत्यु दिनांक 06.09.2012 को हो गई है। वादी सं0 02 के तीनों पुत्र पहले से ही उक्त वाद में वादी सं0 02 'क' से 2 'ग' हैं एवं उनकी तीन पुत्रियों जिनका नाम वादी सं0 02 रेशमा देवी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके

कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 05.09.2023 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपमसन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।